128

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश।

प्रकरण कमांकः निगरानी/2019 पुनर्स्थापन
पुनर्स्थापन-0292/2019/मुरैना/भू.रा.
प्र0 क0 निगरानी 1423–II/2018

रामप्रसाद पुत्र श्री बहाली रावत निवासी–ग्राम टाटूपुरा केमरा खुर्द तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना म.प्र.।

....आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला मुरैना

............अनावेदक

आवेदन–पत्र वास्ते मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने बावत्

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से आवेदन–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जिसका प्रकरण कमांक– निगरानी/1423–II/2018 था, जो लम्बित होकर दिनांकः 21.02.2019 को बहस हेतु नियत थी।

2. यहकि, अभिभाषक दोपहर 11.00 बजे से 12.00 बजे के मध्य न्यायालय में उपस्थित रहे, अभिभाषक को ज्ञात हुआ कि पीठासीन अधिकारी महोदय समय करीब 1.00 बजे पर बैठेंगे। उसके बाद अभिभाषक उच्च न्यायालय ग्वालियर के समक्ष अन्य प्रकरण में पैरवी करने के सिलसिले चले गये। और जब उच्च न्यायालय से अभिभाषक वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनकी वाहन खराब हो गयी, जो महलगांव गेट पर ठीक कराने के बाद न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तब ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण को अदम पैरवी में

.........2

प्र0 क0 निगरानी/1423/II/2019 आज दिनांक 22-2-019 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-3-19 नियत। रीडर ऑफ कोर्ट 22-2-19 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

कार्यालय अभिलेखागार राजस्व मण्डल yes 01 03 22/2/19 4:30 PM

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुर्नस्थापन 292/2019/मुरैना/भू0रा0

रामप्रसाद विरूद्ध म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20 –6–2019	आवेदक अभिभाषक श्री विनोद श्रीवास्तव को प्रकरण के पुर्नस्थापन के बिन्दु पर दिनांक 17–06–2019 को सुना गया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। मूल निगरानी प्रकरण में दिनांक 20–5–2019 को प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत था, जहां आवेदक द्वारा स्वयं तर्क हेतु समय की मांग की गई थी। आवेदक अभिभाषक के अनुरोध पर न्यायालय द्वारा अंतिम तर्क हेतु दिनांक 21–5–2019 नियत की गई। आवेदक अभिभाषक उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहे। आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण ही प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया। अनुपस्थिति के संबंध में ठोस आधार दर्शाये जाने पर ही प्रकरण को पुर्नस्थापित किया जा सकता है। इस पुर्नस्थापन आवेदन में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं दर्शाया गया है जिससे आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति सदभाविक प्रतीत होती हो। दर्शित परिस्थितियों में यह पुर्नस्थापन आवेदन अमान्य किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर.के. जैन) 20/6/19 सदस्य	